

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रभाग)
713, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं० 20-73/2006-एएस-1

26 अक्टूबर, 2007

सेवा में

सभी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसधारक जिन्हें 2001 में या इसके बाद लाइसेंस जारी किए गए थे

विषय : सेवा परीक्षण और प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में सीएमटीएस लाइसेंस करार का संशोधन

सीएमटीएस लाइसेंस करार के खंड 5.1 के क्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस की अनुबंध व शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, सार्वजनिक हित में अथवा सेवा के उचित संचालन के लिए, लाइसेंसदाता एतद्वारा सीएमटीएस लाइसेंस करार के खंड 8 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित खंड से बदल रहे हैं, नामतः

8. सेवा की प्रदायगी

8.1 लाइसेंसधारक लागू प्रणालियों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर चालू करेगा। लाइसेंसदाता की प्राधिकृत परीक्षण पार्टी द्वारा जारी परीक्षण प्रमाण-पत्र की समय-समय पर यथानिर्दिष्ट तारीख को ही लाइसेंस करार की शर्त 37 के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी के आकलन हेतु सेवा का चालू किए जाने की तारीख माना जाएगा। तथापि, लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता के बिना किसी भी समय ग्राहकों को सेवा प्रदान करना प्रारंभ कर सकता है।"

2. संशोधनों और समय-समय पर जारी अनुदेशों सहित लाइसेंस करार की सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
3. कृपया पावती भेजें।

(आर०के० गुप्ता)
सहायक महानिदेशक (एएस-1)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से

प्रति प्रेषित :

1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता)
3. उप महानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक (सीएस)/उप महानिदेशक (डीएस)/उप महानिदेशक (एलएफ),
दूरसंचार विभाग
4. उप महानिदेशक (सी एंड ए), दूरसंचार विभाग से अनुरोध है कि वे इस संशोधन को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अद्यतन करने की व्यवस्था करें।